

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३५] अर्द्ध विसर्ग, बुधवार, फरवरी २६, १९६९/फाल्गुन ७, १८९०

No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 1969/PHALGUNA 7, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February 1969

G.S.R. 504.—The following Proclamation by the President is published for general information:

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India, I, Zakir Husain, President of India, hereby revoke the Proclamation made by me, under the said article on the 29th June, 1968, in relation to the State of Bihar.

ZAKIR HUSAIN
President.

NEW DELHI,
The 26th February, 1969.

[No. 45/7/BHR/68-Poll(K).]

NEW DELHI,
The 26th February, 1969.

L. P. SINGH, Secy.

गृह सञ्चालन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1969

गो. कां० नि० 505.—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है ।

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, बिहार राज्य के सम्बन्ध में 29 जून, 1968 को उक्त अनुच्छेद के अधीन अपने द्वारा की गई उद्घोषणा को एतद् द्वारा प्रतिसंहृत करता हूँ ।

नई दिल्ली,
26 फरवरी, 1969 ।

जाकिर हुसैन,
राष्ट्रपति ।

— [सं० 45/7/बिहार/68-पोल (के)]

ल० प्र० सिंह, सचिव ।

नई दिल्ली,
26 फरवरी, 1969 ।